न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 152/2024

उनवान

1. श्योराज पुत्र छोटू जाति गुर्जर नि. कल्याणीपुरा, नसीराबाद
—— अपीलांट :– जरियें अधिवक्ता श्री नवीन गुर्जर

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मावशिया,
2. माला पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर नि. ग्राम कल्याणीपुरा, नसीराबाद,
3. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
—— रेस्पोडेन्टस :– 3 जरियें राज. पेरोकार, शेष अनुपस्थित

4. आंचूं पत्नी छोटू,
5. उगमा पुत्र रामचन्द्र,
6. नरमा पुत्री छोटू,
7. प्रेम पुत्री छोटू,
8. भैरू पुत्र छोटू समस्त जाति गुर्जर नि. कल्याणीपुरा, नसीराबाद
—— तरतीबी रेस्पोडेन्टस :– 4, 6, 8 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू रा. अधि. 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत मावशिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2019 नामान्तकरण संख्या 109 के द्वारा पचायंत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व, अपील बाबत।

–: आदेश :–   दिनांक :– 1.10.24

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कल्याणीपुरा के खाता संख्या 2/3 किता 10 रकबा 1.12 की आराजी अपीलांट की खातेदारी की है। उक्त आराजी अपीलांट के पूर्वज रामचन्द्र की खातेदारी थी, उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र उगमा, छोटू, किशना के नाम कमशः 1/3 हिस्सा प्रत्येक का दर्ज हुआ। उक्त आराजी में से किशना पुत्र रामचन्द्र द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरियें विकय पत्र से ऑचू पत्नी छोटू को बैचान किया गया। ऑचं पत्नी छोटू ने उक्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा अपीलांट को जरियें विकय पत्र दिनांक 13.01.15 बैचान किया गया। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी पर 1/3 हिस्सा निहित हो गया। दिनांक 26.02.2018 को छोटू पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु होने पर आराजी मुतनाजा पर उसका 1/3 हिस्सा [illegible] के नाम जरियें नामान्तकरण संख्या 108 दिनांक 4.10.19 द्वारा [illegible] पुत्र रामचन्द्र का 1/3 हिस्सा उसके वारिस ऑचू पत्नी छोटू, नरमा पुत्री छोटू, प्रेम पुत्री छोटू, भैरू पुत्र छोटू व श्योराज पुत्र छोटू के नाम कमशः 1/15 हिस्सा प्रत्येक का दर्ज किया गया। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी पर दिनांक 13.01.15 के विकय व विरासत के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:47:25 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नामान्तकरण द्वारा कुल 2/5 हिस्सा निहित हो गया। अपीलांट श्योराज पुत्र छोटू द्वारा उक्त आराजी पर अपना 1/3 हिस्सा जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 14.10.19 के आधार पर प्राप्त को भाला पुत्र सुखदेव गुर्जर के नाम बैचान कर दिया. उक्त विकय पत्र में अंकित किया गया कि अपीलांट द्वारा विकेता द्वारा अपना 1/3 हिस्सा बैचान किया जा रहा है तथा विरासत से प्राप्त अपना 1/3 हिस्सा बैचान नही किया जा रहा है। उक्त विकय पत्र दिनांक 14.10.19 की पालना में केता भाला पुत्र सुखदेव के नाम ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 05.12.19 से अपीलांट का सम्पूर्ण 2/5 हिस्सा केता के नाम स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामानतकरण विधि के प्रावधान व न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने से निरस्त व दुरूस्त योग्य है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा पर अपीलांट का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया है। अतः नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 05.12.19 को निरस्त कर आराजी मुतनाजा में अपीलांट का 1/15 हिस्सा व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 6, 8 व राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। अपीलांट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि तरतीबी रेस्पोडेन्टस के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है अतः उनकी तामीली की आवश्यकता नही है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। ग्राम कल्याणीपुरा की आराजी मुतनाजा खाता संख्या खाता संख्या 2/3 किता 10 रकबा 1.12 उगमा, छोटू, किशना पि. रामचन्द्र प्रत्येंक के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज थी। उक्त आराजी में किशना पुत्र रामचन्द्र ने अपना 1/3 हिस्सा ऑचू पत्नी छोटू को जरियें विकय पत्र बेचान कर दिया। तथा ऑचू पत्नी छोटू उक्त विकय पत्र के आधार पर प्राप्त 1/3 हिस्सा अपीलांट को बेचान कर दिया। अपीलांट के नाम उक्त आराजी का 1/3 दर्ज कर दिया गया। तथा अपीलांट के पिता छोटू पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु के बाद जरियें विरासत उक्त आराजी पर 1/15 हिस्सा भी अपीलांट को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपीलांट का उक्त आराजी पर 2/5 हिस्सा निहित हो गया। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी में अपना 1/3 हिस्सा भाला पुत्र सुखदेव गुर्जर को जरियें विकय पत्र दिनांक 14.10.19 को बेचान किया गया। उक्त विकय पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि विकेता द्वारा 1/3 हिस्से का बैचान किया जा रहा है तथा अपने पिता छोटू से विरासत से प्राप्त हिस्से का बैचान नही किया जा रहा है। किन्तु पटवारी हल्का ने विकय पत्र में दर्ज हिस्सेनुसार नामान्तकरण दर्ज नही कर अपीलांट का सम्पूर्ण हिस्सा 2/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया तथा ग्राम पंचायत मावशिया ने भी बिना जॉच किये उक्त नामान्तकरण पर 2/5 हिस्सा केता के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से स्वीकृत कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने अपील का खण्डन नही किया है। अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में [illegible] है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व राजस्व अभिलेख से सिद्व होता [illegible] डेन्ट संख्या 2 ने उक्त आराजी पर अपीलांट का 1/3 हिस्सा [illegible] कार्मिको द्वारा उक्त नामान्तकरण में गलत तरीके [illegible] केता के नाम अंकित कर दिया। उक्तानुसार अपीलांट अपनी अपील के तथ्यों को सिद्व करने में सफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:47:25 IST
Reason: SelfAttested

——3

अत अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम पंचायत मावशिया द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 109 दिनांक 05.12.2019 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त नामान्तकरण को निरस्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये नवीन सिरे से आदेश पारित करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:47:25 IST
Reason: SelfAttested